न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08 / 2015

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स–
1. शंकरराराम पुत्र निम्बाराम 2. श्रीमती पार्वती पत्नी निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर		1. नायब तहसीलदार बाड़मेर 2. दासाराम पुत्र गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 767 दिनांक 29.11.1978 जो नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.12.2021

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम महाबार तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 767 नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 29.11.1978 के विरूद्ध दिनांक 24.08.2015 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 12[illegible] 1230 रकबा 87 बीघा भूमि खातेदार गुलाबा [illegible] साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उ[illegible] के फौत हो जाने [illegible]का पटवारी महाबार द्वारा नामान्तरकरण सं. 76[illegible] गुलाबा के वारिसा[illegible] रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

में दासा वल्द गुलाबा के नाम दर्ज कर नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 29.11.1978 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 24.08.2015 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया एवं अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 1202 एवं 1230 रकबा क्रमशः 01-01 बीघा एवं 87 बीघा भूमि खातेदार गुलाबा वल्द रामदान कौम भांभी साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार गुलाबा के फौत होने पर हल्का पटवारी महाबार द्वारा नामान्तरकरण सं. 767 में गुलाबा के वारिस के रूप में अकेले दासा का नाम दर्ज कर दिया। खातेदार गुलाबा के देहान्त होने से पूर्व उसके बड़े पुत्र निम्बाराम का स्वर्गवास हो गया था उस समय अपीलांट संख्या 1 नाबालिग तथा उसकी माता अपीलांट संख्या 2 अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण द्वारा गुलाबा के वारिसान के रूप में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम पारित किया जाना चाहिये था जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट संख्या 1 के नाबालिग एवं अपीलांट संख्या 2 के अशिक्षित ग्रामीण विधवा [illegible] का फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर अकेले [illegible] पारित करवा दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण के अन्तर्गत विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

गुलाबा, मोडा पि0 रामदान के नाम से पैमाईश की गई थी। उक्त खातेदार मोडा लाऔलाद फौत होने से भूमि अकेले गुलाबाराम के नाम दर्ज हो गई थी तथा वर्ष 1977 तक इस पर गुलाबाराम का कब्जा–काश्त रहा एवं इसके पश्चात अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 काबिज हुए। अपीलांट्स ने विवादित भूमि में अपना 1/2 हिस्सा अलग कर देने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 से मांग की तो उन्होने अपीलांट्स को स्वर्गीय गुलाबा की जमीन में कोई हिस्सा देने से मना किया। इस पर अपीलांट्स ने दिनांक 09.10.2011 को हलका पटवारी से सम्पर्क कर उक्त खसरा की पुश्तैनी भूमि के राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि स्वर्गीय गुलाबा की फौतगी के बाद भरे गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 767 दिनांक 29.11.1978 में अपीलांट्स का नाम दर्ज नहीं है। तब अपीलांट्स ने हलका पटवारी से अपना नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हलका ने सुझाव दिया कि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील चाराजोही करें। इस पर अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता के मार्फत राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपियां दिनांक 10.10.2011 को प्राप्त की एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध मानवीय भूल से अपीलांट्स के अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 01.11.2011 को अपील प्रस्तुत कर दी जो संख्या 42/2011 दर्ज कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 14.07.2015 के द्वारा क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए खारिज कर दी जिस पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा उनके समक्ष सहवन से प्रस्तुत अपील यदि दर्ज भी कर ली गई थी तो उसे इस न्यायालय को अन्तरित कर दी जानी चाहिये थी अथवा अपीलांट्स को इस आधार पर लौटा दी जानी चाहिये थी कि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। इस आधार पर अपीलांट्स को यह अपील प्रस्तुत करने का विधिसम्मत अधिकार है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब का उचित आधार होने से इस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपील को अन्दर मयाद शुमार की जावे तथा अपीलांट्स के विरासत अधिकार के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज कर तहसीलदार बाड़मेर को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने हेतु आदेश फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने पर पुनः अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 29.11.1978 के विरूद्ध प्रथम अपील 2011 में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह भी असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी तथा विलम्ब का कोई ठोस आधार प्रकट नहीं किया गया है। अपीलांट्स यदि विवादित भूमि में अपना कोई हक–हिस्सा होना मानते हैं तो धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील साबित रूप से मयाद बाहर है तथा अपील में मैरिट पर सुनवाई से पूर्व मयाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर अपीलांट्स की अपील मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 1202 रकबा 01–01 बीघा एवं 1230 रकबा 87 बीघा भूमि खातेदार गुलाबा वल्द रामदान कौम भांभी साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार गुलाबा के फौत हो जाने [illegible] का पटवारी महाबार द्वारा नामान्तरकरण सं. 767 में गुलाबा के वारिसान [illegible] दासा वल्द गुलाबा के नाम दर्ज कर नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 29.11.1978 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 24.08.2015 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि स्वर्गीय गुलाबा के फौत होने से पूर्व गुलाबा के बड़े पुत्र निम्बा जो अपीलांट संख्या 1 के पिता एवं 2 के पति थे का निधन हो चुका था तथा अपीलांट्स का भरण–पोषण स्वर्गीय गुलाबा ने ही अपने जीवनकाल में किया था। गुलाबा के फौत होने के समय अपीलांट संख्या 1 नाबालिग था तथा अपीलांट संख्या 2 अशिक्षित ग्रामीण महिला होने से उन्हें राजस्व अभिलेखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जबकि अपीलांट्स प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अपीलांट्स ने वर्ष 2011 में रेस्पोडेंट संख्या 2 से अपने 1/2 हिस्से की भूमि अलग करने की मांग की गई जिस पर मना करने पर हलका पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त की गई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट संख्या 1 अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने के समय नाबालिग था किन्तु इसके पश्चात बालिग हो जाने के बाद भी लम्बे समय तक उसके द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में कोई विधिक चाराजोही नहीं की गई है। हस्तगत अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में उक्त अवधि के विलम्ब के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण प्रकट नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 24.08.2015 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील लगभग 37 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के संबंध में धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में प्रकट किया है कि अपीलांट्स नाबालिग एवं ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला होने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गलत दर्ज होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

थी। अपीलांट्स का यह कथन 37 वर्ष की लम्बी समयावधि के विलम्ब का शमन करने में किसी प्रकार से मददगार प्रतीत नहीं होता है। मयाद के संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन कारण स्पष्ट किया जाना बाध्यकारी है। अपीलांट संख्या 1 यद्यपि वक्त नामान्तकरण स्वीकृति नाबालिग था किन्तु बालिग होने के बाद इतने समय में अपीलांट्स को राजस्व रेकर्ड की जानकारी रही होगी। अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध लम्बे समय बाद अपील पेश करने का कोई ठोस कारण अपीलांट्स ने नहीं दिया है, लिहाजा मयाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में दावा/वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जहां गवाहों व साक्ष्यों को परीक्षण करवाते हुए अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करावें।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:52:32 IST
Reason: SelfAttested